::आदेश::

कोविड–19 संक्रमण में हो रही निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप जन–सुरक्षा हित में यह निर्णय लिया जाना आवश्यक हो गया हैं। अतः Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 एवं Epidemic Diseases Act 1897 सपठित दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून पूर्व पारित आदेशो में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद **देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्र हेतु** निम्नवत आदेश निर्गत करता हूं:–

1– दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021(सोमवार) प्रातः 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्रान्तर्गत पूर्णतः **कोरोना कर्फ्यू** रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

2–उक्त **कोरोना कर्फ्यू** अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुडे दुकानो व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी:–

- फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट–मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी ।
- पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
- आवश्यक सेवा से जुडे वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।
- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
- शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहो से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे ।
- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।
- औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिको को आने–जाने की छूट होगी।
- रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानो से होम डिलवरी में छूट रहेगी ।
- शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे।
- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयो को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
- मालवाहक वाहनो के आवागमन में छूट रहेगी।
- वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियो के वाहनो को आवागमन में छूट होगी।
- कोविड–19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
- पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।
- दिनांक 26.04.2021 को बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भॉति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
- जनपद देहरादून के अन्य स्थानो पर पूर्व आदेश संख्याः 3391/सीपीओ–डीएम–2021, दिनांक 21.04.2021 यथावत लागू रहेगा।

3– कोविड–19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय–समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा–निर्देशो का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

4– उपरोक्त के संबंध में मेरा समाधान हो गया है तथा इतना समय नही कि दूसरे पक्ष को भी सुना जा सके । इसलिए जन–सुरक्षा हित में एकपक्षीय आदेश आज दिनांक 25.4.2021 को मेरे हस्ताक्षरों व कार्यालय मुहर से जारी किया गया हैं कि उक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

कार्यालय–जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या : 3424/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक : 25, अप्रैल, 2021

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2– अपर मुख्य सचिव महोदया, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।
3– सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
4– सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
5– आयुक्त महोदय,गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ।
6– समस्त जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून/संबंधित थानाध्यक्ष को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु ।
8– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
9– नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/ऋषिकेश/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद गढ़ीकैन्ट/क्लेमनटाउन ।
10–अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रशासन, देहरादून।
11–उप जिला मजिस्ट्रेट ऋषिकेश/देहरादून/नगर मजिस्ट्रेट देहरादून।
12–मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13–जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को जन सामान्य के संज्ञानार्थ समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
14–अन्य सभी सम्बन्धितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।